

U.P HOUSING & DEVELOPMENT BOARD

List of vacant Residential Properties of Agra zone for e-auction dated 18.10.2025

Sr No	Auction ID	Zone	City	Yojna/Apartment Name	Property Number	Property Type	Area (sq. mt.)	F.A.R.	corner	Reserve Price	Property Cost	Token Money	Reservation Category	RERA Reg. Number if applicable	
1	51762	Agra	Agra	Sikandra Yojna	751 Sec-4	LIG	93.7825	-	-	-	4,535,300.00	226765	सामान्य	-	
2	51763	Agra	Agra	Sikandra Yojna	347 Sec-10	LIG	61.60	-	-	-	2,600,000.00	130000	S.C	-	
3	51764	Agra	Agra	Sikandra Yojna	506/8	PLOT	30.69	-	-	58960.00	1,809,483.00	90474	सामान्य	-	
4	51765	Agra	Agra	kamla nagar	H-33	H.I.G.	94.55 प्रथम तल	-		-	7713729.00	385686	General	-	
5	51766	Agra	Shikohabad	Scheme No-1,Shikohabad	3/130	UPTO 80 Sq/M (PLOTS)	41.23	-	No	36170	Rs. 1,491,289.10	74564	General	-	
6	51767	Agra	Shikohabad	Scheme No-1,Shikohabad	3/131	UPTO 80 Sq/M (PLOTS)	41.23	-	No	27270	Rs. 1,124,342.10	56217	General	-	
7	51768	Agra	Shikohabad	Scheme No-1,Shikohabad	3/132	UPTO 80 Sq/M (PLOTS)	41.23	-	No	27370	Rs. 1,128,465.10	56423	General	-	
8	51769	Agra	Shikohabad	Scheme No-1,Shikohabad	3/133	UPTO 80 Sq/M (PLOTS)	41.23	-	No	33870	Rs. 1,396,460.10	69823	General	-	
9	51770	Agra	Shikohabad	Scheme No-1,Shikohabad	3/135	UPTO 80 Sq/M (PLOTS)	41.23	-	No	33820	Rs. 1,394,398.60	69720	General	-	
10	51771	Agra	Shikohabad	Scheme No-1,Shikohabad	3/136	UPTO 80 Sq/M (PLOTS)	41.23	-	No	32820	Rs. 1,353,168.60	67658	General	-	
11	51772	Agra	Shikohabad	Scheme No-1,Shikohabad	3/137	UPTO 80 Sq/M (PLOTS)	41.23	-	No	33170	Rs. 1,367,599.10	68380	General	-	
12	51773	Agra	Shikohabad	Scheme No-1,Shikohabad	3/138	UPTO 80 Sq/M (PLOTS)	41.23	-	No	32470	Rs. 1,338,738.10	66937	General	-	
13	51774	Agra	Shikohabad	Scheme No-1,Shikohabad	3/139	UPTO 80 Sq/M (PLOTS)	41.23	-	No	33120	Rs. 1,365,537.60	68277	General	-	
14	51775	Agra	Shikohabad	Scheme No-1,Shikohabad	3/141	UPTO 80 Sq/M (PLOTS)	41.23	-	No	31270	Rs. 1,289,262.10	64463	General	-	
15	51776	Agra	Shikohabad	Scheme No-1,Shikohabad	3/142	UPTO 80 Sq/M (PLOTS)	41.23	-	No	35220	Rs. 1,452,120.60	72606	General	-	
16	51777	Agra	Shikohabad	Scheme No-1,Shikohabad	3/143	UPTO 80 Sq/M (PLOTS)	41.23	-	No	40170	Rs. 1,656,209.10	82810	General	-	
17	51778	Agra	Shikohabad	Scheme No-1,Shikohabad	3/144	UPTO 80 Sq/M (PLOTS)	41.23	-	No	27420	Rs. 1,130,526.60	56526	General	-	
18	51779	Agra	Shikohabad	Scheme No-1,Shikohabad	3/145	UPTO 80 Sq/M (PLOTS)	41.23	-	No	37970	Rs. 1,565,503.10	78275	General	-	
मा० न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती हैं।															
आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियाँ हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर “Other Document” में अपलोड किया जाना होगा।															
यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण/अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।															
ई-नीलामी में प्रस्तावित सम्पत्तियों का विवरण परिषद की वेबसाइट एवं ई-नीलामी पोर्टल उपलब्ध हैं। रera में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख रera पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया है।															
परिषद की समस्त प्रकार की सम्पत्तियां “जहां है जैसे है” के आधार पर निस्तारित की जाएंगी।															
समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय भूखण्डों पर भौतिक कब्जा प्राप्त के 05 वर्ष के अन्दर मानचित्र स्वीकृत कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। ससमय निर्माण पूर्ण न किए जाने की दशा में नियमानुसार अनिर्माण शुल्क/समयवृद्धि शुल्क देय होगा।															
परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय/शैक्षणिक सम्पत्तियां परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली-2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन निस्तारित की जाएंगी।															
यदि किसी सम्पत्ति के विरुद्ध एकल बोली प्राप्त होती है तो मा० परिषद की 268वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-268/20 पर अनुमोदित प्रस्ताव के अधीन निर्णय लिया जाएगा।															
आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति (एकल भवन/भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।															
आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहाँ आवासीय सम्पत्ति(एकल भवन/भूखण्ड)क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है,उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई सम्पत्ति न हो तथा 30प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में परिषद की एक से अधिक सम्पत्ति न हो।															